राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर

अपील संख्या 607 / 2025

पूजा कंवर शेखावत —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायतीराज (स्वास्थ्य) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फलोदी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.03.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश कुमार ओझा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की अनुपालना में आवेदक को भाईयों की ढाणी, उपकेन्द्र ब्लॉक लोहावट, फलोदी से आरसीएचओ बीकानेर के लिए कार्यमुक्त किया जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर आदेश दिनांक 15.11.2024 द्वारा भाईयों की ढाणी, लोहावट, फलोदी में हुई। अपीलार्थी वर्तमान में परिवीक्षाधीन है, जो अभी तक परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान कार्यस्थल से आरसीएचओ बीकानेर किया गया है। आलोच्य आदेश के बिन्दू संख्या 2 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई कार्मिक परिवीक्षाकाल में हो तो उस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। अपीलार्थी परिवीक्षाकाल में होते हुए भी आलोच्य स्थानांतरण आदेश द्वारा उसका स्थानांतरण किया गया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के बिन्दु संख्या 2 को निरस्त किया जावे और आलौच्य आदेश की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनेक याचिकाओं में यह अभिनिर्धारित किया है कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी का नियमानुसार स्थानान्तरण किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कर्मचारी सेवा नियमों के तहत चयनित नियमित कार्मिक होता है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण भाईयों की ढाणी, लोहावट, फलोदी से आरसीएचओ बीकानेर किया गया है, परन्तु आलौच्य आदेश में सेवा नियमों के विरूद्ध यह शर्त जोडी गई है कि सम्बंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उसे प्रभावी नहीं करते हुए आदेश जारी किए है। जिसके कारण अपीलार्थी का स्थानांतरण होने के बावजूद उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया है। अपीलार्थी एएनएम के पद पर वर्ष 2024 से परिवीक्षाधीन है। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–7(30) में वर्णित परिवीक्षाधीन कार्मिक की पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार अपीलार्थी सभी परियोजनार्थ सेवा का सदस्य है। परिवीक्षाधीन अवधि में एक कार्मिक अन्य कार्मिकों की भांति कार्य सम्पादित करता है और उसका स्थानांतरण राज्य सेवा के अन्य सदस्यों की भांति किया जा सकता है। परिवीक्षाधीन कार्मिक की कोई पृथक् सेवा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उससे कोई अलग प्रकार का व्यवहार करना या विभेद करना युक्तियुक्त एवं नियमाकूल नहीं है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी को स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना में नवीन पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जावे।

अतः उक्त अपील उक्त निर्देशों के साथ ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

NDG/-